गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
GOA SHIPYARD LIMITED
आयएसओ 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 कंपनी प्रमाणित
AN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 CERTIFIED COMPANY
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE
वास्को-द-गामा, गोवा
VASCO-DA-GAMA, GOA, 403 802, INDIA.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष/ Tel. : (0832) 2512152 - 56, 2512359
फॅक्स/Fax. : (0091-832)2514232, 251148, 2513260
ई-मेल / E-mail. : contactus@goashipyard.com
वेब / Website : www.goashipyard.com
GSL CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN)
U63032GA1967G01000077
GSTIN : 30AAACG7569F1ZR
पंजिकृत कार्यालय और यार्ड : वास्को-द-गामा, गोवा - ४०३८०२.
Registered Office & Yard : Vasco-da-Gama, Goa, 403 802, India.
सभी उत्तर अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक को संबोधित करना है।
All replies to be addressed to the Chairman & Managing Director

56वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस

एतद् द्वारा **सूचना** दी जा रही है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 56वीं वार्षिक साधारण बैठक, गुरवार दिनांक 29 सितंबर, 2022 को 1530 बजे भारतीय मानक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') द्वारा निम्नलिखित कार्यों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को उस पर निदेशक मंडल एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के साथ और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना।

2. प्रति इक्विटी शेयर पर 3.25 रुपए (अर्थात @ 65%) की दर से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 1.10 रुपए (अर्थात @ 22%) की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने और इस संबंध में विचार करने और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना : -

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 142 एवं कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 174 के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 3,00,000/- रुपए जोड जीएसटी एवं फुटकर खर्च की वास्तविक राशि पर लागू कर को जोड़ कर, नियत किया जाए।"

विशेष कार्य

4. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री बृजेश कुमार उपाध्याय, (डीआयएन-08852107) की नियुक्ति को मंजूरी देना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना: -

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा - Goa 403802

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152,196 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिनांक 8 जुलाई, 2022 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र सं. 2/1(1)/2020/डी(एनएस) के अनुसरण में, श्री बृजेश कुमार उपाध्याय, (डीआयएन-08852107) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों की सहमति दी जाती है और एतद् द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

5. कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा (डीआईएन - 09579478), उप-महानिदेशक (स्वदेशीकरण प्रभाग), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की नियुक्ति को मंजूरी देना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना: -

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. 8(32)/2019/डी(समन्वय/रक्षा उत्पादन विभाग) के अनुसरण में, श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा, (डीआयएन-09579478) उप-महानिदेशक (स्वदेशीकरण प्रभाग), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों द्वारा सहमति दी जाती है और एतद् द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

6. कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री दीपक मनोहर पटवर्धन (डीआईएन - 09450572) की नियुक्ति को मंजूरी देना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित लगे तो, संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. 11/(70)/2021/विविध/डी(एनएस) के अनुसरण में, श्री दीपक मनोहर पटवर्धन (डीआईएन - 09450572) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों द्वारा सहमति दी जाती है और एतद् द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

7. कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री हसमुख हिंदोचा (डीआईएन - 09453805) की नियुक्ति को मंजूरी देना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित लगे तो, संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152, के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 11/(70)/2021/विविध/डी(एनएस) के अनुसरण में, श्री हसमुख हिंदोचा (डीआईएन - 09453805) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों द्वारा सहमति दी जाती है और एतद् द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

8. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों जिसे कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (तत्समय के लिए लागू कोई भी सांविधिक संशोधन (नों) या उसके पुन: अधिनियम(मों) सहित) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक सीएमए सावरी मुथु आय, लागत लेखाकार, पणजी, गोवा को 1,50,000/- रुपए जोड लागू जीएसटी तथा फुटकर खर्च की वास्तविक राशि (अधिकतम 25,000/- रुपए) जोड लागू कर, पारिश्रमिक के रूप में देय है तथा एतद् द्वारा संपुष्टि की जाती है।"

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की उधार लेने की शक्तियों को बढाने के लिए और यदि उपयुक्त लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:-

"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों (तत्समय के लिए लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या उसके पुन: अधिनियमन(मों) सहित) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए और उसकी ओर से ऐसी धन राशि समय-समय पर विभिन्न बैंक(कों), वित्तीय संस्थान(नों) और/या अन्य ऋणदाता(ओं) से चाहे भारत में हो या विदेश में, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक और उचित समझे जाने पर, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर उचित समझे, को उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति कंपनी के निदेशक मंडल (जिसमें किसी भी समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) को दी जाती है कि इसके बावजूद कंपनी द्वारा पहले ही उधार ली गई धनराशि के साथ उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त किए गए /प्राप्त किया जाना अस्थायी ऋण को छोड़कर) कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम के योग से अधिक हो सकता है, बशर्ते कि कुल राशि जहां तक धन उधार लिया जा सकता है या बोर्ड द्वारा ली गयी धन राशि किसी भी समय 8,000 करोड़ रुपये (केवल आठ हजार करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी।"

"**आगे यह भी संकल्प लिया जाता है** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य के लिए, निदेशक मंडल को समय-समय पर ऐसे सभी उधारों के नियमों और शर्तों, जो कि यह उचित लगे, को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और इस तरह के सभी कार्यों, अनुबंधों, उपकरणों, समझौतों और किसी भी अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है और ऐसे सभी क्रियाकलापों, कार्यों, मामलों, मुद्दों के लिए जो आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक समझी जा सकती हैं और इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए कंपनी के निदेशकों की किसी भी समिति और/या निदेशकों और/या अधिकारियों को प्रदान किया जाता है।"

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड**
छाया
(छाया जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : वास्को द गामा, गोवा
दिनांक : 29 जुलाई 2022

टिप्पणियाँ :

1. कोविड-19 महामारी की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने समय-समय पर अपने दिनांक 05 मई 2022 का साधारण परिपत्र सं. 02/2020 जिसे 8 अप्रैल 2020 का साधारण परिपत्र सं.14/2020, 13 अप्रैल 2020 का साधारण परिपत्र सं.17/2020 और 05 मई 2020 का साधारण परिपत्र सं. 20/2020 और सभी अन्य सबंधित परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए(सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा कंपनी को वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) का संचालन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एक सुलभ स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति दी है। अत: एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के लिए निर्धारित किया गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय,वाडेम, वास्को-द-गामा, गोवा-403 802 है।

2. बैठक में किए जानेवाले विशेष कार्य से सबंधित अधिनियम की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। नोटिस के मद सं 4 एवं 9 में दर्शाए गए विशेष व्यवसाय को बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माने जाते है और इसलिए इस नोटिस का हिस्सा बनते है।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य जिन्हें बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है वे सदस्य स्वयं उपस्थित होने के बजाय प्रॉक्सी को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है और उसमें प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि वासाबै एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को वास्तविक उपस्थिति की अनुमति नहीं है। **तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक साधारण बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और वार्षिक साधारण बैठक का रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।**

4. अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, कॉरपोरेट निकाय (यों) (अर्थात व्यक्तियों / एचयूएफ/ एनआरआई आदि के अलावा) से अनुरोध है कि वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वासाबै में भाग लेने और मतदान करने के लिए विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (यों) को अधिकृत करने वाले इसके बोर्ड / शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की स्कैन की हुई प्रति ashoksahoo@goashipyard.com पर भेजें।

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वासाबै में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण

6. एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया नोट करें कि वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in पर भी उपलब्ध होगी।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और इलेक्ट्रॉनिक मोड में अन्य संचार प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत करें:

(क) वास्तविक मोड में शेयरधारित सदस्य और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के ashoksahoo@goashipyard.com ई-मेल अथवा पूर्वा शेयरजिस्ट्री (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के support@purvashare.com ई-मेल पर नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल संख्या और डाक पते का उल्लेख कर और पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ लिखित रूप से पंजीकृत करें।

(ख) डिमैटरीकृत मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वासाबै में शामिल होने की प्रक्रिया

8. सदस्यों को सिस्को वेबेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के जरिए वासाबै में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य निम्नलिखित लिंक एवं विवरण के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) में भाग ले सकेंगे :

यू आर एल:https://goashipyard.webex.com/goashipyard/j.php?MTID=m077a449bb45546ab67cd5187e899da07

बैठक संख्या : 25117199709

पासवर्ड : 8FHxc4YQ6WG

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए उपरोक्त विवरण और लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर वेबेक्स ब्राउजर को निर्देशित किया जाएगा। मोबाइल डिवाइस या टेबलेट से शामिल होने वाले प्रतिभागी कृपया अपने डिवाइस पर उपर्युक्त लिंक एक्सेस करने से पूर्व ही 'सिस्को वेबेक्स मीटिंग्स' ऐप डाउनलोड करें। बैठक में शामिल होने के दौरान प्रतिभागी अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल (अर्थात् नाम और ई-मेल आईडी) दर्ज करेंगे।

9. बेहतर अनुभव के लिए, बैठक में लैपटॉप के माध्यम से भाग लेना और स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग उपयुक्त है।

10. बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के निर्धारित समय से 30 (तीस) मिनट पहले आरंभ की जाएगी और इसे वासाबै की कार्यवाही के दौरान खुला रखा जाएगा। सदस्यों की सुविधा और वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के उचित संचालन के लिए, सदस्य वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के लिए निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले शामिल हो सकते हैं।

11. सदस्य जिन्हें वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) से पहले या उस दौरान तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता है तो, वे कृपया श्री अशोक कुमार साहू, सहायक कंपनी सचिव, गोशिलि को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: ashoksahoo@goashipyard.com या 0832 2512152-56 पर संपर्क करें।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

बैठक के दौरान सवाल पूछने / स्पष्टीकरण मांगने / मतदान की प्रक्रिया

12. जैसा कि वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, वासाबै की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए, सदस्यों को अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल पता, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए ashoksahoo@goashipyard.com ई-मेल पता पर अग्रिम रूप से अपने विचार / प्रश्न भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वासाबै के दौरान समुचित उत्तर देने के लिए कृपया 27 सितंबर, 2022 को या उससे पहले प्रश्न / सवाल, यदि कोई हो तो, को प्रस्तुत किया जा सकता है।

13. बैठक के अध्यक्ष बैठक के दौरान प्रश्नों या विचारों को प्रकट करने का अवसर दे सकते हैं। जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "चैट आइकन" फीचर या "हाथ उठाएं" फीचर का उपयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं।

14. कंपनी को वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और बोलने वालों की संख्या को सीमित रखने का अधिकार है।

15. वे सदस्य, जिनके नाम सदस्य के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में 23 सितंबर, 2022 (कट-ऑफ की तारीख) तक दर्ज किए गए हैं, इस नोटिस में दिए गए कार्य(र्यों)/संकल्प(ल्पों) पर मतदान देने के हकदार हैं। एमसीए परिपत्रों और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, जहाँ बैठक में 50 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, अध्यक्ष हाथ उठाकर मतदान का संचालन करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि अधिनियम की धारा 109 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती है।

16. जब किसी भी विषय पर मत की मांग की जाती है, तो सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ई-मेल पते (पतों) के माध्यम से chhayajain@goashipyard.com पर केवल ई-मेल भेजकर संकल्प(ल्पों) के लिए मतदान डालेंगे। मतदान की स्थिति में, सदस्यों/लाभार्थियों (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारण के मामले में) के मतदान अधिकार कट-ऑफ की तारीख के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। यदि मतदानों की गिनती के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो बैठक स्थगित की जा सकती है और परिणाम घोषित करने के लिए बाद में बुलाया जा सकता है।

17. संयुक्त शेयरधारण के मामले में, संयुक्त शेयरधारक जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहले है, सिर्फ वही मतदान करने का हकदार होगा।

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया

18. अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके शेयरधारण के रजिस्टर और अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंध या व्यवस्था का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक साधारण बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज भी इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए सदस्यों द्वारा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध रहेंगे। इस तरह के दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए सदस्य ashoksahoo@goashipyard.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama
गोवा . Goa. 403802
GOA SHIPYARD LIMITED

लाभांश संबंधी जानकारी

19. यदि निदेशक मंडल के सिफारिश के अनुसार अंतिम लाभांश वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है तो घोषणा के दिनांक से 30 दिनों के अंतर लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम (क) डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों की सूची में लाभार्थी स्वामी के रूप में और (ख) कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) की तारीख तक कामकाज के घंटों के बंद होने तक दर्ज है।

20. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी/डीपी के साथ पंजीकृत किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिनके बैंक खाते का विवरण कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत करें / अद्यतन करें। जिन सदस्यों की हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक मॉड में है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करें। जिन सदस्यों की शेयरधारिता वास्तविक मॉड में है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा प्रदान की गई मैन्डेट सुविधा का लाभ उठाएं। ईसीएस मैन्डेट फॉर्म कंपनी / आरटीए से प्राप्त किया जा सकता है।

21. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगें। इसलिए कंपनी को अपने शेयरधारकों (निवासी एवं अनिवासी) को लाभांश का भुगतान करने के समय स्त्रोत कर कटाना (टीडीएस) आवश्यक है। टीडीएस की दर शेयरधारकों की निवासी स्थिति और कंपनी / आरटीए / डीपी के पास जमा दस्तावेज के आधार पर भिन्न होगी।

<u>निवासी शेयरधारकों के लिए:</u>

जहां कंपनी के रिकॉर्ड में एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) अद्यतन की जाती है, वहां @ 10% कर काटा जाएगा। सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20% की उच्च दर से काटा जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 206AB के तहत "निर्दिष्ट व्यक्ति" के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों के दोगुने से कर की कटौती की जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना पैन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रति वासाबै के पहले या उसी दिन जमा करें। कॉर्पोरेट सदस्यों के मामले में, सत्यापन उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) द्वारा किया जाना है।

निवासी व्यक्ति को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुल लाभांश 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, यदि निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जो आयकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वे फॉर्म 15जी (कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है) / फॉर्म 15एच (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लागू) स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करें ताकि वे कंपनी से स्त्रोत पर कर की गैर कटौती का लाभ उठा सकें। निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक भी न्यूनतम कर का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama
गोवा . Goa
403802
GOA SHIPYARD LIMITED

अनिवासी शेयरधारकों के लिए:

आयटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, देय लाभांश की राशि पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है जो 20% (अतिरिक्त लागू अधिभार और उपकर) की दर से या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई दर के अनुसार होगा। हालांकि, अनिवासी शेयरधारकों के पास, भारत और सदस्यों के कर निवासी देश के बीच दोहरे कर से बचने के समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने के विकल्प को चुन सकता है। इस संबंध में, अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

क) जिस वर्ष के लिए लाभांश प्राप्त होता है उस वर्ष के लिए शेयरधारक के निवासी देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी और शेयरधारक द्वारा स्वप्रमाणित कर निवास प्रमाण पत्र;

(ख) विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म 10एफ;

(ग) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति;

(घ) भारत में कोई स्थायी स्थापना/निश्चित आधार नहीं है, शेयरधारक द्वारा स्व:घोषणा;

(ङ) कंपनी में अपने शेयरधारिता के लाभकारी स्वामित्व की घोषणा; और

(च) यदि लागू हो तो, कर कम करने के लिए शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किसी अन्य दस्तावेज जिसे आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

लाभकारी कर संधि दर का आवेदन अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और अनुपालन एवं प्रयोज्यता के संबंध में कंपनी की संतुष्टि के लिए इसकी समीक्षा पर निर्भर करेगा।

तदनुसार, कंपनी का सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पहले उपरोक्त विवरण और दस्तावेज आपके फोलियो नंबर को उद्धृत करते हुए कंपनी/आरटीए को ऊपर उल्लिखित ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराएं या संबंधित डीपी के साथ अद्यतन करें।

22. आगे यह भी नोट किया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों/घोषणाओं की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी सदस्य के पास आय की विवरणी दाखिल करने का और पात्र होने पर, उचित प्रतिदाय का दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा । काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

आयईपीएफ संबंधी सूचना

23. अधिनियम की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार जिसे निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 ('आईईपीएफ नियम') के संशोधित रूप के साथ पढ़े, कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए, लाभांश की कोई भी राशि जो अवैतनिक या दावा रहित हो निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक घोषित लाभांश की अवैतनिक या दावा रहित राशि को समय-समय पर आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया है। आईईपीएफ को अब तक स्थानांतरित लाभांश का विवरण आईईपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे लिंक www.iepf.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी के पास बकाया या दावा रहित लाभांश की राशि का विवरण 31 मार्च, 2021 को कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in और उपरेक्त आईईपीएफ की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा - Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

24. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की राशि जो 28 अक्टूबर 2022 को अवैतनिक/दावा रहित है, कंपनी द्वारा आयईपीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस आशय के नोटिस संबंधित शेयरधारकों को 15 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले अवैतनिक लाभांश राशि का दावा करने के लिए भेजे गए हैं। जिन शेयरधारकों ने अभी भी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अवैतनिक लाभांश के भुगतान और / या किसी भी बाद के वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी को अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें।

25. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 124 (6) के अनुसार, संशोधित आईईपीएफ नियमों के साथ पठित, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान/दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तदनुसार, जिन शेयरों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 से लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त आईईपीएफ नियमों और इसके संशोधनों के अनुसार, कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को नोटिस भेजे थे जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले हैं और साथ ही साथ समाचार पत्रों और कंपनी की वेबसाइट यानी www.goashipyard.in में प्रकाशित किए गए हैं।

26. आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in और आईईपीएफ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, जिसे लिंक www.iepf.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। सदस्य ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के साथ-साथ दावा नहीं किया गया लाभांश को आयईपाएफ प्रधिकारी को फर्म सं. आयईपाएफ-5 में निर्धारित ऑनलाईन आवेदन कर वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश शेयरों की राशि के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

27. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों और दावा नहीं किए गए लाभांशों से संबंधित सभी जानकारी उनके फोलियो–संख्या का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त ई-मेल आयडी पर कंपनी/आरटीए को भेजें।

अन्य सूचना

28. कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसडीएल और सीडीएसएल में डीमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध हैं। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या **INE178Z01013** है। सदस्य जो वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों का यदि डीमैटरियलाइज्ड करना चाहते हैं, तो वे कृपया उनका/उनकी/उनके डीपी के जरिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के आरटीए का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
यूनिट सं 9, शिव शक्ति इंडस्ट्रीज़ इस्टेट,
जे. आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल ईस्ट,
मुंबई – 400 011
ई-मेल आयडी: support@purvashare.com
दूरभाष: 022 2301 6761/2517/2518/8261/0771

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा - Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

29. वास्तविक शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि पिन कोड के साथ अपने आवासीय पता, ई-मेल पते, पिन कोड सह डाक पते, मैंडेट / बैंक विवरणों में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए वे अपने फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी/आरटीए को सूचित करें और शेयरों के डीमैटेरियलाइज्ड रूप में होने पर, यह जानकारी उनके संबंधित डीपी को दी जानी चाहिए।

30. वास्तविक शेयर रखने वाले सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि वे कंपनी में अपनी शेयरधारिता का नामांकन करें, कंपनी (शेयरपूंजी एवं डिबेंचर) नीति, 2014 में निर्धारित के अनुसार फार्म संख्या एसएच-3 प्रस्तुत करके फार्म संख्या एसएच-3 कंपनी से प्राप्त किया जा सकता है। डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क कर सकते हैं।

31. एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी फोलियो संख्या का विवरण एक ही फोलियो में समेकित करने के लिए आरटीए को भेज दें।

-------------x------------

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा,
Vasco-da-Gama
गोवा . Goa.
403802
GOA SHIPYARD LIMITED

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

1. विशेष सूचना से संबंधित सभी वास्तविक तथ्यों को आगे नोटिस में सूचित किया गया है:-

मद सं. 4

2. कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 117(1) और 130(ए) के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति विहित है। तदनुसार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, के दिनांक 8 जुलाई 2022 के पत्र सं. का 2/1(1)/2020/डी(एनएस) द्वारा श्री बृजेश कुमार उपाध्याय को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने दिनांक 10 जुलाई 2022 से पदभार ग्रहण किया है। बोर्ड ने 29 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 04/2022 बैठक में श्री बृजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति का उल्लेख किया है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोडकर, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, निदेशक मंडल, सदस्यों के अनुमोदन के लिए कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री बृजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति का प्रस्ताव रखता है।

4. श्री बृजेश कुमार उपाध्याय का संक्षिप्त प्रोफाइल इस प्रकार है:

   श्री बृजेश कुमार उपाध्याय ने 10 जुलाई 2022 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (गोशिलि) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. डिग्री प्राप्त की है और वे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, कोलकता एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, नई दिल्ली के फेलो सदस्य हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे गोशिलि के निदेशक (प्रचालन) के पद पर कार्यरत थे और उनका उत्तरदायित्व नई जहाज निर्माण परियोजनाओं का सफल निष्पादन था। गोशिलि में 30 से अधिक वर्षों के अपने उत्कृष्ट कार्यकाल के दौरान उन्होंने संगठन के कार्यात्मक और परिचालन क्षेत्रों में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया और संगठन के लगभग सभी कार्यक्षेत्रों - जहाज निर्माण, विविधीकरण, स्वदेशीकरण, कॉर्पोरेट योजना, व्यापार विकास एवं रणनीति, जहाज मरम्मत, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और यार्ड क्षमता निर्माण आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

   श्री उपाध्याय जी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रतिष्ठित एवं स्थापित अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के सहयोग के माध्यम से गोशिलि में नई प्रौद्योगिकियों को लाने में प्रमुख भूमिका निभायी है। गोशिलि में बेहद सफल विविधीकरण युग की अमिट शुरुआत करते हुए शिपयार्ड में सामान्य इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन अत्याधुनिक विविध उत्पादों ने, न केवल गोशिलि के राजस्व में बड़े पैमाने पर योगदान दिया बल्कि रक्षा क्षेत्र में सरकार की स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की पहल को भी मजबूत करने में अहम भूमिका निभायी है। उन्होंने गोशिलि की वैश्विक पहुंच बढ़ाने और अप्रयुक्त वैश्विक रक्षा बाजार में गोशिलि की पैठ बनाने में सदैव अग्रणी रहे हैं। उन्होंने मित्र देशों के लिए प्रतिष्ठित निर्यात परियोजनाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोशिलि को ख्याति प्राप्त हुई है।

5. बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

6. कंपनी में श्री बृजेश कुमार उपाध्यय के अलावा कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

मद सं. 5

7. कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 117(1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति निहित है। तद्नुसार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 2022 का पत्र सं. 8(32)/2019 - डी (कार्ड/रक्षा उत्पादन विभाग) द्वारा श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा को कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड ने 26 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 02/2022 बैठक में श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा की नियुक्ति जो 20 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है को नोट किया है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए बोर्ड, सदस्यों के अनुमोदन के लिए कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है।

9. श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा का संक्षिप्त प्रोफाइल इस प्रकार है:

श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा को 20 अप्रैल 2022 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा एक विज्ञान स्नातक हैं और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं। वे वर्ष 1994 में आईओएफएस कैडर, रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणी बोर्ड में शामिल हुईं। वे वर्तमान में स्वदेशीकरण प्रभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा, उन्होंने रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणी बोर्ड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नीति आयोग और लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें सतर्कता मामलों, कर्मचारियों के वित्तीय मामलों, मीडिया ईकाइयों के कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और गतिशीलता से संबंधित नीतिगत मामलों आदि जैसे व्यापक क्षेत्रों में 28 वर्षों से अधिक का व्यापक और समृद्ध अनुभव है।

10. बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

11. श्रीमती रोली महेन्द्र वर्मा को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6

12. कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 117 (1)के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशक को नियुक्तकरने की शक्ति निहित है। तदनुसार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग ने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 11/(70)/2021/विविध/डी (एनएस) द्वारा श्री दीपक मनोहर पटवर्धन को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड ने 5 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी 01/2022 बैठक में श्री दीपक मनोहर पटवर्धन की नियुक्ति जो 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी है को नोट किया है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama
गोवा . Goa. 403802
GOA SHIPYARD LIMITED

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(2) और 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। इसलिए, बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री दीपक मनोहर पटवर्धन को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है।

14. श्री दीपक मनोहर पटवर्धन का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे दिया गया है।

श्री दीपक मनोहर पटवर्धन को 31 दिसंबर 2021 से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री पटवर्धन वाणिज्य में स्नातकोत्तर, एलएलबी और जी.डी.सी. एवं ए. हैं। वे 20 वर्षों के समृद्ध अनुभव वाले पेशे से एक वकील हैं। वे रत्नागिरी जिला सहकारी पटसंस्था मर्यादा रत्नागिरी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और स्वामी स्वरूानंद सहकारी पटसंस्थ मर्यादादित रत्नागिरी जिला, एक सहकारी क्रेडिट सोसायटी और 194 साल पुराने पुस्तकालय रत्नागिरी जिला नगर वाचनालय, रत्नागिरी के अध्यक्ष हैं। वे रत्नागिरी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य सहकारी पटसंस्था फेडरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

15. बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

16. श्री दीपक मनोहर पटवर्धन को छोड़कर कोई भी निदेशक, संकल्प में कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में किसी भी तरह, वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 7

17. कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 117 (1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति निहित है। तदनुसार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग ने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 11/(70)/2021/विविध/डी (एनएस) द्वारा श्री हसमुख हिंदोचा को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड ने 05 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी 01/2022 बैठक में श्री हसमुख हिंदोचा की नियुक्ति जो 03 जनवरी, 2022 से प्रभावी है को नोट किया है।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 (2) और 152 (2) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। इसलिए, बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री हसमुख हिंदोचा की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है।

19. श्री हसमुख हिंदोचा का संक्षिप्त प्रोफाइल इस प्रकार है:

श्री हसमुख हिंदोचा को 03 जनवरी 2022 से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री हिंदोचा वाणिज्य और कानून में स्नातक हैं और वर्ष 2004 से वकालत कर रहे हैं। नवानगर सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर और गुजरात अर्बन सहकारी बैंक फेडरेशन के निदेशक हैं और शाखा

GOA SHIPYARD LIMITED Vasco-da-Gama Goa 403802

विकास समिति, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जामनगर के संयोजक हैं। उन्होंने वर्ष 2006 से 2012 तक नगर शिक्षा बोर्ड, जामनगर, महानगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे जामनगर में विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और महिला विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

20. बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

21. श्री हसमुख हिंदोचा को छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 8

22. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएमए सावरी मुथु आय, लागत लेखाकार, पणजी, गोवा को कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में 1,50,000/- रुपये जोड जीएसटी के पारिश्रमिक पर नियुक्त करने और फुटकर व्यय वास्तविक विषय पर अधिकतम 25,000/- जोड लागू कर की मंजूरी दी है।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार जिन्हें कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना है।

24. तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय उपरोक्त पारिश्रमिक पर विचार करें और नोटिस के मद संख्या ८ में निर्धारित सामान्य संकल्प को पारित करके पुष्टि करें।

25. कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में किसी भी तरीके से, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 9

26. कंपनी को समय-समय पर कार्यगत पूंजी आवश्यकताओं और बैंक गारंटी के लिए निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए नियमित व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, ताकि इसके चल रहे व्यावसायिक संचालन का समर्थन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 179 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने समय-समय पर अधिनियम की धारा 180 (1) (सी) के तहत निर्धारित समग्र सीमा के तहत ऋण सुविधा/कार्यगत पूंजी आवश्यकताओं सहित उधारों को मंजूरी दी थी और कंपनी न्यायिक रूप से इन सीमाओं का उपयोग कर रही है।

27. हाल ही में, कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ 1,056.45 करोड़ रुपये की राशि के 02 प्रदूषण नियंत्रण पोतों और 08 तेज गश्ती पोतों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय नौसेना के लिए 5,837 करोड़ रुपये के 07 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एल-1 बोलीदाता के रूप में भी उभरा है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

28. इस संदर्भ में, अनुबंधों के अनुसार चरण भुगतान/प्रदर्शन गारंटी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड जमा करने की पिछली प्रथा को हाल के वर्षों में बैंक गारंटी जमा करने के साथ बदल दिया गया था। इसने बैंक गारंटी आवश्यकताओं में अभूतपूर्व वृद्धि की है क्योंकि उन्हें प्रत्येक चरण के भुगतान का दावा करने और प्रदर्शन सह वारंटी बंड अनुपालन के लिए भी आवश्यक होगा। इसके अलावा, कंपनी को चल रहे फ्रिगेट परियोजना के लिए सामग्री की खरीद के लिए एलसी खोलने की भी आवश्यकता होगी।

29. तदनुसार, कंपनी की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं और इसके व्यावसायिक प्रचालन को समर्थन देने के लिए इसकी वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, उधार लेने की शक्तियों को 8,000 करोड़ रुपये (आठ हजार करोड़ रुपये) बढाने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि यह राशि कंपनी की चुकता पूंजी और उसके फ्री रिजर्व यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित नहीं है (नवीनतम वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार) कुल योग से अधिक है, कंपनी अधिनियम की धारा 180 (1) (सी) के अनुसार यह सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगा।

30. तदनुसार बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 9 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

31. उक्त संकल्प में कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक, वित्तीय या अन्यथा, नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड**

छाया

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

स्थान : वास्को द गामा
दिनांक : 29 जुलाई 2022